संख्या-48/2025/913/2025/1862321 /2025/12-5/39/2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,
   राजस्व विभाग/चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग / पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग/आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 30-07-2025**

विषयः-ई-खसरा पड़ताल (DCS) के अन्तर्गत खरीफ मौसम 2025 से डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य लेखपाल के स्थान पर प्राइवेट सर्वेयर द्वारा वर्तमान दर से लिए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० अनुभाग-7. लखनऊ के पत्र संख्या-आर-126/7-कम्प्यूटरसेल-11/2024, दिनांक 02 जुलाई, 2025 के पत्र में एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत ई-खसरा पड़ताल (DCS) में खरीफ मौसम 2025 से डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य लेखपाल के स्थान पर प्राइवेट सर्वेयर द्वारा वर्तमान दर से कराये जाने की अपेक्षा की गयी है तथा यह भी निर्णय लिया गया है कि कृषि विभाग द्वारा प्राइवेट सर्वेयर का चयन समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों के माध्यम से कराया जाएगा एवं प्राइवेट सर्वेयर का व्यय भार कृषि विभाग द्वारा ही वहन किया जाएगा।

शासनादेश संख्या-56/2023/923/2436013/2023/12-5099/10/2023, कृषि अनुभाग-5 दिनांक 04 अगस्त, 2023 के पैरा संख्या-8 (i), (ii) एवं (ii) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सर्वेयर, सुपरवाइजर तथा वेरीफायर को योजित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है एवं शासनादेश संख्या-1722156/12-5099/10/2023, कृषि अनुभाग-5 दिनांक 21 अगस्त, 2023 के पैरा संख्या-2-(2) में डिजिटल क्राप सर्वे हेतु योजित किये गये सर्वेयर, सुपरवाइजर एवं वेरीफायर हेतु प्रोत्साहन/मानदेय तथा इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु धनराशि के भुगतान की व्यवस्था में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तदक्रम में ई-खसरा पड़ताल (DCS) अन्तर्गत खरीफ मौसम 2025 से सर्वेयर, सुपरवाइजर तथा वेरिफायर के नियोजन सम्बन्धी तथा उनके प्रोत्साहन राशि/मानदेय में निम्न परिवर्तन किये जा रहे है:-

1. सर्वेयर के रूप में जनपदों में कार्यरत लेखपाल के स्थान पर पंचायती राज विभाग के पंचायत सहायक, ग्राम्य विकास विभाग के ग्राम रोजगार सेवक एवं कृषि विभाग के तकनीकी सहायक वर्ग-सी, खण्ड तकनीकी प्रबन्धक (बीटीएम), सहायक तकनीकी प्रबन्धक (एटीएम) आदि का सर्वेयर के रूप में कार्य करने हेतु चयन किया जा सकता है। आवश्यकतानुसार गन्ना एवं उद्यान विभाग के समकक्ष क्षेत्रीय कार्मिकों का भी चयन किया जा सकता है। प्रत्येक सर्वेयर हेतु सर्वे करने की अधिकतम संख्या 1100/- निर्धारित की जाती है।

2. सर्वेयर्स द्वारा किये गये सर्वेक्षण को सुपरवाइज करने के लिए अधिकतम 20 सर्वेयर्स का एक ग्रुप बनाया जायेगा तथा प्रत्येक ग्रुप हेतु एक सुपरवाइजर होगा। सुपरवाइजर का कार्य राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक के अतिरिक्त कृषि विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सहायक, वर्ग-बी से भी कराया जा सकता है।

3. वेरिफायर का कार्य राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार के अतिरिक्त कृषि विभाग के वरिष्ठ तकनीकी सहायक, वर्ग-ए एवं अवर अभियंता से भी कराया जा सकता है।

4. एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य चूंकि मोबाइल एप के माध्यम से किया जाता है, जिसके लिए इन्टरनेट कनेक्टिविटी की भी आवश्यकता होगी, इसके लिए समस्त सर्वेयर एवं सुपरवाइजर को रूपये 350/- की दर से प्रत्येक खरीफ, रबी एवं जायद के सर्वेकाल के समय भुगतान किया जायेगा।

5. सर्वेयर द्वारा किये गये सर्वे के शत्-प्रतिशत् अप्रूवल होने पर सर्वेयर को रूपये 150/- अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि प्रत्येक खरीफ, रबी एवं जायद के सर्वेकाल के समय प्रदान की जायेगी।

शासनादेश संख्या-56/2023/923/2436013/2023/12-5099/10/2023, कृषि अनुभाग-5 दिनांक 04 अगस्त, 2023 एवं शासनादेश संख्या-1722156/12-5099/10/2023, कृषि अनुभाग-5 दिनांक 21 अगस्त, 2023 में निर्गत अन्य दिशा-निर्देश पूर्ववत लागू रहेंगे।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-48/2025/913/2025/1862321 /2025/12-5/39/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ०प्र०।
2. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ०प्र०।
3. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ०प्र० शासन।
5. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
6. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
7. निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रविन्द्र
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1722156/12-5099/10/2023

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उ0प्र0, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 21 अगस्त, 2023

विषयः-एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत डिजिटल क्राप सर्वे हेतु योजित किये गये सर्वेयर हेतु प्रोत्साहन/ मानदेय तथा इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु धनराशि के भुगतान की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-आई०टी०सेल/538/एग्रीस्टैक/2023-24, दिनांक 17.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कि भारत सरकार के मार्ग निर्देशिका में दी गयी व्यवस्थानुसार एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत डिजिटल क्राप सर्वे हेतु योजित किये गये सर्वेयर हेतु प्रोत्साहन/मानदेय तथा इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु धनराशि के भुगतान की व्यवस्था के संबंध में शासनादेश निर्गत कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत डिजिटल क्राप सर्वे (ई-पड़ताल) के संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी की दिनांक 08.08.2023 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :-

1. प्रदेश में खरीफ, रबी एवं जायद में डिजिटल क्रॉप सर्वे हेतु प्रति सीजन प्रति प्लाट एक फसल हेतु अधिकतम रुपये 5/- एवं यदि एक प्लाट में एक से अधिक फसल है, जिसका सर्वे फसल जोड़ कर किया जाएगा तो रुपये 5/- अतिरिक्त धनराशि किन्तु अधिकतम रुपये 10/- की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
2. एग्रीस्टैक योजनान्तर्गत डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य चूंकि मोबाइल एप के माध्यम से किया जाना है, जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए समस्त सर्वेयर, सुपरवाइजर एवं वेरिफायर्स को प्रति माह 500 रूपये के दर से रबी, खरीफ एवं जायद सत्र के प्रारंभ में सर्वे काल 45 दिन हेतु 750-750 रूपये प्रति सर्वेयर, सुपरवाइजर एवं वेरिफायर्स को सर्वे काल के समय भुगतान किया जायेगा।
3. योजनान्तर्गत प्रोत्साहन धनराशि के भुगतान हेतु डिजिटल क्रॉप सर्वे की वेबसाइट पर दी गयी व्यवस्थानुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया जायेगा।

4. योजनान्तर्गत प्रोत्साहन राशि एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित भुगतान एग्रीस्टैक के बजट से संबंधित कार्मिक के बैंक खाते में किया जाएगा।

भवदीय,

Signed by डॉ0 देवेश चतुर्वेदी
(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
Date: 21-08-2023 09:58:53
अपर मुख्य सचिव
Approved

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
3- संयुक्त कृषि निदेशक, आईटी सेल, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
4- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अमर चन्द्र)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।